[Shri C. T. Dhandapani]

the working class. If the Central Government is very much against the working class, they would have turned down the request of the employees, but they accepted the demands. All the Trade Union leaders or representatives were there. They were given air tickets and sent back from Delhi to Madras yesterday. The employees got more than what they wanted. Therefore, this Government is not against the working class.

SHRI SAMAR MUKHERJEE: This is because of the Joint Committee. It is a simple thing; you don't understand. The working class' striking power is so powerful that they had to concede their demands. If there were no unity amongst them, no demand would have been conceded.

SHRI C. T. DHANDAPANI: I want to give you some information regarding the Neyveli Lignite Corporation. Even singly, the DMK got its demand in 1974 without the assistance of any political party. Normally the CPM never signs on any agreement...

MR. DEPUTY-SPEAKER: We have to go on to the next item: you can continue omorrow.

18.00 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE—*Contd.*

NOTIFICATION UNDER CUSTOMS ACT, 1962

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): On behalf of Shri Maganbhai Barot, I beg to lay on the Table a copy of Notification No. 134|80-Customs (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 3rd July, 1980, together with an explanatory note regarding exemption to hessian based jute specialities when exported out of India, from the whole of the duty of customs leviable thereon, under section 159 of the Customs Act, 1962. [Placed in Library. See No. LT—993|80]

18.01 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

ADDITIONAL FACILITIES TO FREEDOM FIGHTERS

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं 11 जून के अतारांकित प्रश्न संख्या 364 के उत्तर से उत्पन्न प्रश्नों के बारे में चर्चा उठा रहा हूं। जिस प्रश्न की मैं ने चर्चा की है वह प्रश्न मेरे ही नाम से था। इस प्रश्न के पहले मैंने 7 अप्रल, 1980 को प्रधान मंत्री जी को एक पत्र लिखा था और उस में स्वतन्त्रता सेनानियों की कठिनाइयों के बारे में, उन की दिक्कतों के बारे में तेरह सूत्री मांग पत्र रखा था। उसी मांग पत्र के बारे में यह 11 जून का प्रश्न था। उसी प्रश्न के सम्बन्ध में मैं यह चर्चा शुरू कर रहा हूं।

देश के स्वतन्त्रता सेनानियों ने जो कुर्बानियां कीं, जिस प्रकार से देश को आजाद करवाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, वह जग जाहिर है और उसी का प्रताप है कि हम और आप यहां स्वतन्त्र भारत में स्वतन्त्र संसद में बहस मुबाहिसा कर रहे हैं। स्वतन्त्रता सेनानियों की कठिनाइयों के बारे में देश में तथा दोनों सदनों में बरसों से सवाल उठते रहे हैं जिस के परिणाम स्वरूप 1972 में भारत सरकार ने स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन योजना चालू की .....

श्री नूल चन्द डागा (पाली) : कांग्रेस ने की थी।

श्री रामावतार शास्त्री : लेकिन इस के लिए बहुत आन्दोलन करना पड़ा था और हाउस के बाहर भी करना पड़ा था। आप ने मजबूर हो कर या सहमत हो कर इस को चालू किया।

इस योजना के तहत दो सौ रुपये की पेंशन प्रत्येक स्वतन्त्रता सेनानी को दी जाती है। सरकार का जो उत्तर, मेरे प्रश्न संख्या 1092 के सिलसिले में 19 मार्च को आया है उस में बताया गया है कि पेंशन पाने वाले सेनानियों की संख्या उस समय 1 लाख 17 हजार 925 थी और जिन की दरख्वास्तें नामंजूर कर दी गई, उन की संख्या 94 हजार 451 थी। आज उन की संख्या क्या है मुझे मालूम नहीं है। प्रायः सभी स्वतन्त्रता सेनानी बूढ़े हो चुके हैं। बुढ़ापे में जो कठिनाइयां किसी के साथ होती हैं वे उन सेनानियों के साथ भी है। तो इन कठिनाइयों को देखते हुए अखिल भारतीय स्वतन्त्रता सेनानी संगठन ने 8-सूत्री मांग-पत्र भारत सरकार के सामने रखा और स्वतन्त्रता सेनानी संगठन की तरफ से प्रधान मंत्री और गृह मंत्री से हमारा प्रतिनिति-मंडल भी मिला और उन के सामने 8 मांगें रखीं। 8 मांगों